तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.05.2018	वकुलाय उपस्थित। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करवाने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त कराने का निवेदन किया। इसके विपरित विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का यह कथन रहा कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल अपील, जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी, उसमें निर्णय पारित हो चुका है। अतः अपील प्रभावहीन होने से खारिज कराने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। हस्तगत अपील सहायक जिलाधीश जालोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 38/2000 (37/2005) मैथी बनाम बगीया में पारित आदेश दिनांक 19.07.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित राजस्व वाद संख्या 48/2005 मैथी बनाम बगीया व अन्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2016 को निर्णय पारित किया जा चुका है। इस स्थिति में यह अपील स्पष्टतया प्रभावहीन हो चुकी है। इस स्थिति में अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद पालना फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 14.05.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	